Government of India
Ministry of Transport
Department of Railways
(Railway Board)

No.E(NG)II-85/RC3/87. New Delhi, dated 30 -4-1986.

The General Manager,
All Indian Railways
& Production Units

Sub:-Direct recruitment of Telephone Operators in initial scale of Rs.260-400.

In terms of instructions contained in this Department's letter No.PCIII-73/S&T/4 dated 13-4-77 read with their letters No.E(NG)I-81-CFP-42 dated 21-1-82 and 4-9-82, the base grade posts of Telephone Operators in scale Rs.260-400 are required to be filled as under :-

(a) 40% of the vacancies by direct recruitment through the RRBs with qualification of Matriculation or equivalent and in the age group of 18-25 years; and

(b) 60% of the vacancies by promotion of Class IV staff in the Telecom. Wing of S&T Department by a process of selection as prescribed for promotion of Class IV staff to Class III posts, i.e. without insisting on Matriculation being the qualification.

2. It may please be confirmed that the posts of Telephone Operators are being filled in accordance with this Department's instructions referred to above.

(M. Kujur)
Deputy Director, Establishment(N),
Railway Board.

Copy to:-E(NG)I, E(Rep.)I,II,III, E(LR)II, III, E(LL), E(SCT).

भारत सरकार
परिवहन मंत्रालय
रेल विभाग(रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(एन जी)11-85/आर-सी 3/87 नयी दिल्ली, दिनांक
महाप्रबन्धक, 30-4-1986.
सभी भारतीय रेलें।

विषय:- 260-400 रु0 के प्रारम्भिक वेतनमान में टेलीफोन आपरेटरों की सीधी भर्ती।

इस कार्यालय के दिनांक 21.1.82 और 4-9-82 के पत्र सं0 ई(एन जी)1 81-सी एफ पी-42 के साथ पठित इस विभाग के दिनांक 13-4-77 के पत्र सं0 पी सी-III-73/एस एंड टी/4 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार, 260-400 रुपये के वेतनमान में टेलीफोन आपरेटरों के मूल ग्रेड के पदों को निम्न प्रकार से भरा जाना अपेक्षित है:-

(क) 40 % रिक्तियां रेल भर्ती बोर्ड द्वारा मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष योग्यता वाले 18 से 25 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) 60 % रिक्तियां सिगनल एवं दूर संचार विभाग के दूर संचार विंग में से श्रेणी-4 कर्मचारियों की श्रेणी-III के पदों पर पदोन्नति के लिए निर्धारित चयन पद्धति द्वारा श्रेणी-4 कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा। अर्थात इस बात पर जोर दिये बिना कि अर्हता मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए।

2. कृपया इस बात की पुष्टि की जाए कि टेलीफोन आपरेटरों के पद इस विभाग के उक्त अनुदेशों के अनुसार भरे जा रहे हैं।

(एम0कुजूर)
उप निदेशक, स्थापना(अराज0)
रेलवे बोर्ड।